न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम), वाराणसी।

उपस्थितः–विवेकानन्द विश्वकर्मा, उच्चतर न्यायिक सेवा

आपराधिक वाद संख्या– 27/2024

UPVR010001582024

राज्य **प्रति** **अनिल चौहान**

मु0 अ 0 सं0–1709/2020
धारा–135 विद्युत अधिनियम,
थाना– APT
जिला– वाराणसी।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 152 विद्युत अधिनियम

दिनांक 27.07.2026

आज यह पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त **अनिल चौहान पुत्र गुलाब** निवासी–नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर/पाण्डेयपुर, जिला– वाराणसी की तरफ से प्रार्थना पत्र 152 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का दिया गया है कि उसकी तरफ से अदेयता प्रमाण पत्र व विद्युत विभाग में जमा शमन शुल्क व राजस्व शुल्क जमा करने की छाया प्रति दाखिल किया जा रहा है, उसके उपर कोई बकाया शेष नही रह गया है अतः उसको अपराध से उन्मोचित किया जाये।

आवेदक/ अभियुक्त के प्रार्थना पत्र पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

राज्य की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) के द्वारा प्रार्थना पत्र पर यह आख्या दी गयी है कि उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा शमन शुल्क एवं राजस्व शुल्क जमा करा दिया गया है, जमा से सम्बन्धित नो ड्यूज एवं रसीदों की छाया प्रति मूल के साथ संलग्न किया गया है। विभागीय सत्यापन कराया गया है जो सही व सत्य है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शमन शुल्क एव राजस्व निर्धारण शुल्क जमा कर दिया है। समर्थन में जमा रसीद की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न की गयी है तथा विशेष लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त के सन्दर्भ में आख्या संलग्न की गयी है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–152 में अपराधों के प्रशमन का प्रावधान है तथा धारा–152(2) में प्राविधान है कि उपधारा–1 के अनुसार शमन की धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर उक्त अपराध के सम्बन्ध में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जायेगा ओर ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्व किसी दाण्डिक न्यायालय में कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जायेगी। धारा–152(3) के अनुसार उपधारा–1 के अनुसार किसी अपराध का प्रशमन करने के लिए समुचित सरकार या इस निर्मित प्राधिकारी द्वारा धनराशि ग्रहण किये जाने पर दंण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा–300 यथाअन्तर्गत दोषमुक्ति मानी जायेगी।

प्रस्तुत मामले में विवेचना के उपरान्त अभियुक्त **अनिल चौहान पुत्र गुलाब** के विरूद्व धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया जिंस पर न्यायालय द्वारा प्रस ज्ञान लिया गया है। चूंकि अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा निर्धारित शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण शुल्क का भुगतान किया जा चुका है एवं समर्थन में सम्बन्धित अदेयता प्रमाण पत्र एवं जमा रसीद की छाया प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की गयी है जिसे अभियोजन की ओर से स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त **अनिल चौहान पुत्र गुलाब** के विरूद्व धारा– 152 विद्युत अधिनियम मे वर्णित प्राविधानों के दृष्टिगत मुकदमा अपराध संख्या–358/2020 से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही समाप्त की जाती है। अभियुक्त **अनिल चौहान पुत्र गुलाब** को तदनुसार दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(विवेकानन्द विश्वकर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आव०व०अधि०)
वाराणसी
JO Code– UP 6406

Digitally signed by VIVEKA NAND VISHWAKARMA
Date: 2026.07.30 12:00:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court